

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

क्रमांक २११०११

बनाम ३११११११

किस मुकदमा

१५ (५)

प्रकरण सं

०१

सन् 2025

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत जज

जबकि उ मरिज अहकाम को हुम हुकम को मरिज न को को हुम

3/26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। 10. साक्ष्य अवकाश में है। पत्रावली वाले बयान हेतु दिनांक - 10/3/26 को पेश हो।

आज्ञा से

10/3/26

पत्रावली पेश हुई। उक्त फस उपस्थित। उक्त फस बयान हेतु अवकाश चाहे की पुके से की मरिज अवकाश दिजे जा चुके की उमावले में बयान हेतु अंतिम अवकाश दिजे जाये की आगामी पेशी पर आवश्यक रूप में बयान को। पत्रावली वाले बयान हेतु दिनांक 7-4-26 को पेश हो।

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

(विशेष अतिरिक्त जिला कलक्टर)
(शाहपुरा जिले)

7/26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। न्यायालय द्वारा किन्ही ही मरिज अपीलान्त को अगोजे काबई जाने के उपरान्त भी न तो प्रार्थी और न ही उनके विधिक प्रतिनिधि/अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये।

अतः पत्रावली अन्तर्गत आदेश 09 नियम 08 CPC खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल अग्रार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय अरे ईजलास सुनाया गया।

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा